राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
64/12	20.04.2012	28.08.2018

अनुवान

1. रेशमा पुत्री मूर्ति बेवा अमर सिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर
2. संतोष पुत्री मूर्ति बेवा अमर सिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर

:–वादीयागण

बनाम

1. बहादुर पुत्र बिशम्बर
2. रामनिवास पुत्र बिशम्बर जाति अहीरान निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर

:– प्रतिवादीगण

दावा– 88, 89, 188
राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति :

1. श्री जगन्नाथ यादव वकील–वादीयागण
2. श्री सरजीत यादव वकील– प्रतिवादीगण

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 28.08.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वादपत्र का सारतः रहा कि आराजी ख0न0 155/0.62, 156/0.63, 452/0.03, 493/0.26, 608/1.09, 993/1.36, 995/1.34 का 1/4 भाग व 886/0.29, 887/0.24, 888/0.10, 889/0.35, 890/0.50, 891/0.38,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

892/0.15, 893/0.22, 894/0.19, 895/0.05, 896/0.08, 897/0.35 का 1/2 दर 2/5 बैल एवं 299/0.19 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर आराजी हमवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो हमारे पिता अमरसिंह से विरासत में मिली थी। इंतकाल संख्या 1152 संलग्न वादपत्र है।

प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत मैनपुर से मिलकर विवादित आराजी में मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत दर्ज कराते समय अपना नाम गलत रूप से दर्ज करा लिया जबकि प्रतिवादीगण बिशम्बर की संतान है तथा बिशम्बर की ही विरासत केवल प्रतिवादीगण को ही दर्ज व मंजूर हुई थी, मृतक मूर्ति के नाम दर्ज नहीं हुई।

इंतकाल संख्या 1521 मूर्ति बेवा अमरसिंह पटवारी हल्का मैनपुर ने सही रूप से हम वादीगण के नाम दर्ज किया था किंतु ग्राम पंचायत मैनपुर ने गलत रूप से पार्टीबाजी व राजनैतिक कारण से गलत रूप से प्रतिवादीगण का नाम और दर्ज कर मंजूर कर दिया जो इंतकाल हम वादीयागण के हक व हकूकी के खिलाफ बातिल व बेअसर है नाकाबिल पाबंदी है। उक्त गलत इन्द्राज के रहने से हम वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पडता है तथा विवादित आराजी की हम वादीगण ही एकमात्र अधिकारी है। विवादित आराजी के अन्य हिस्सेदार व खातेदारों से कोई विवाद नहीं है इसलिए उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हमवादीगण को दिनांक 10.04.2012 को हुई। तब प्रतिवादीगण ने ग्राम में ऐलानिया कहा कि हम विवादित आराजी को बेचान करके रहेगें व गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने इंकार हो गये जिससे बिनायदावी वो बिनाय मुखास्मत पैदा होकर वाद अन्दर मियाद पेश है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि विवादित आराजी जिम्मन नम्बर 1 ने मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत से प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम के गलत अंकन को हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कागजात माल में अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0दवामी पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी को कहीं रहन बैय आदि से मुंतकिल ना करें, ना ही मिनवादीगण के काश्त कार्य में मजामहत पैदा करें का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा पेश किया। मुताबिक जवाब दावा वादीगण के वादपत्र के जिमनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन रहा कि उक्त आराजी मिनवादीगण की पैतृक आराजी है। **जो जर्ये विरासत मिनप्रतिवादीगण की माता जी मूर्ति देवी से प्राप्त हुई है। मिनप्रतिवादीगण व वादीगण आपस में सगे भाई–बहन है जो मूर्ति देवी की संताने है।** इसलिए उक्त आराजी पर बाई बर्थ मिन प्रतिवादीगण को हक व अधिकार हासिल हो चुके है। विरासत इंतकाल मूर्ति देवी बेवा अमरसिंह के नाम सही दर्ज व स्वीकार हुआ है। ग्राम पंचायत ने मूर्ति देवी के चारों वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है जो बिलकुल सही है। इंतकाल नम्बर 1521 विरासत सरपंच मैनपुर ने सही दर्ज किया है। जिस इंतकाल को वादीगण किसी प्रकार से बातिल कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने समस्त तथ्य मनगढंत व झूठे दर्ज किये है। इसलिए मिनप्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबंद कराने की अधिकारी नहीं है का निवेदन करते हुए वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी वाद के जिम्मन नम्बर 1 में दर्ज मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत से प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम के गलत अंकन को हजफ कराकर वादीगण अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार कागजात माल में अमल दरामद कराने के अधिकारी है। **–जिम्मे वादीगण**
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी को कहीं रहन बैय आदि से मुंतकिल ना करें, ना खुर्द बुर्द करे ना वादीगण के काश्तकार्य में मजामहत पैदा करें। **–जिम्मे वादीगण**
3. आया प्रतिवादीगण वादीगण के वाद को मय खर्चा खारिज कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

4. दादरसी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रेशमा पुत्री मूर्ति पीडब्ल्यू–1, प्रभात पीडब्ल्यू–2, बबलू पीडब्ल्यू–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल इंतकाल संख्या 1521 प्रदर्श–1, नकल इंतकाल संख्या 1152 प्रदर्श–2, नकल इंतकाल संख्या 146 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 प्रदर्श–4 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के समर्थन में केवल मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बहादुर पुत्र बिशम्बर डीडब्ल्यू–1, थावर डीडब्ल्यू–2, शीशराम डीडब्ल्यू–3, सत्यवीर डीडब्ल्यू–4, गणेश डीडब्ल्यू–5 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादीगण के वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए कथन रहा कि उक्त विवादित आराजी बहराम पुत्र दौला की आराजी रही है तथा बहराम की फौतगी पर बहराम की विरासत का इंतकाल संख्या 146 अनुसार बहादुर, रामनिवास पि0 बिशम्बर संभाग 1/2 एवं अमर सिंह पुत्र बहराम 1/2 दिनांक 29.01.1993 को दर्ज होकर स्वीकार हो चुका है तथा उक्तानुसार ही अमरसिंह पुत्र बहराम की फौतगी पर अमरसिंह की विरासत का इंतकाल संख्या 1152 अमरसिंह के वारिसान मूर्ति बेवा अमरसिंह व संतोष, रेशमा पुत्रीयान अमरसिंह संभाग सा0दे0 खातेदार 1/2 दर 2/5 बैल अनुसार दिनांक 19.08.2006 में दर्ज होकर स्वीकार हो चुका है परंतु मूर्ति बेवा अमरसिंह की फौतगी पर मूर्ति का विरासत इंतकाल संख्या 1521 सबंधित हल्का पटवारी द्वारा पूर्व में दर्ज होकर स्वीकार किये गये इंतकालातनुसार ही मूर्ति की वारिसान संतोष, रेशमा पुत्रीयान मूर्ति अहीर संभाग 1/15 सा0दे0 खातेदार बाकि बदस्तुर अनुसार दर्ज किया गया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से संतोष रेशमा पुत्रीयान मूर्ति के साथ–साथ बहादुर, रामनिवास पुत्रान का अंकन करते हुए बहादुर, रामनिवास पुत्रान व संतोष, रेशमा पुत्रीयान मूर्ति के नाम से उक्त इंतकाल संख्या 1521 दिनांक 20.03.2012 में गलत रूप से दर्ज कर मंजूर करा दिया। जबकि पूर्व में ही इंतकाल संख्या 186 एवं इंतकाल संख्या 1521 दर्ज व मंजूर हुये तथा उक्त इंतकालात के बाबत प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं रहा। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज

Scanned by CamScanner

बिशम्बर के वारिस है तथा मूर्ति बेवा अमरसिंह की आराजी से इनका कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावे के जिमनों को दोहराते हुए निवेदन रहा कि मूर्ति देवी हमारी भी मां थी और ग्राम पंचायत ने सही जांच कर इंतकाल संख्या 1521 सही रूप से स्वीकार किया है। वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वादीगण के वाद पत्र का तनकीवार विश्लेषण निम्नानुसार पाया जाता है:–

तनकी नम्बर 1– आया विवादित आराजी वाद के जिम्मन नम्बर 1 में दर्ज मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत से प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम के गलत अंकन को हजफ कराकर वादीगण अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। इसी प्रकार कागजात माल में अमल दरामद कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–3, नकल इंतकाल संख्या 146 अनुसार बहराम की विरासत बहादुर, रामनिवास पि0 बिशम्बर संभाग 1/2 एवं अमरसिंह पुत्र बहराम 1/2 दर 1/19 के अवलोकन एवं इंतकाल संख्या 1152 अमरसिंह पुत्र बहराम की विरासत के बाबत अमरसिंह के वारिसान मूर्ति बेवा अमरसिंह, संतोष, रेशमा पुत्रीयान अमरसिंह संभाग सा0दे0 खातेदार 1/2 के अंकन के अनुसार एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत बहस के अध्ययन उपरांत एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्रों के अवलोकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जिरह साक्ष्यों के अवलोकन से वादीगण द्वारा वाद साबित करने बाबत प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहक वादीगण स्पष्ट रूप से साबित पाता है।

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी को कहीं रहन बैय आदि से मुंतकिल ना करें, ना खुर्द बुर्द करे ना वादीगण के काश्तकार्य में मजामहत पैदा करें। इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मे वादीगण रहा है। चूंकि तनकी संख्या 1 स्पष्ट रूप से बहक वादीगण स्वीकार पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण होकर बहक वादीगण स्पष्ट रूप से साबित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर 3– आया प्रतिवादीगण वादीगण के वाद को मय खर्चा खारिज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रहा है। चूंकि तनकी नम्बर 1 व 2 स्पष्ट रूप से बहकवादीगण साबित पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाई जाकर बहक वादीगण साबित पाता है।

दादरसी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण द्वारा वाद में सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाता है एवं विवादित आराजी ख0न0 155/0.62, 156/0.63, 452/0.03, 493/0.26, 608/1.09, 993/1.36, 995/1.34 का 1/4 भाग व 886/0.29, 887/0.24, 888/0.10, 889/0.35, 890/0.50, 891/0.38, 892/0.15, 893/0.22, 894/0.19, 895/0.05, 896/0.08, 897/0.35 का 1/2 दर 2/5 बैल एवं 299/0.19 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादीगण डिकी किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात में मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बजाय उक्त हिस्से रकबे पर वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0दवामी पाबंद किया जाता है कि वे उनके नाम हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन बैय आदि से मुंतकिल ना करें, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मजामहत पैदा ना करें। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
64/12	20.04.2012	28.08.2018

अनुवान

1. रेशमा पुत्री मूर्ति बेवा अमर सिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर
2. संतोष पुत्री मूर्ति बेवा अमर सिंह जाति अहीर निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर

:–वादीयागण

बनाम

1. बहादुर पुत्र बिशम्बर
2. रामनिवास पुत्र बिशम्बर जाति अहीरान निवासी सियाखोह तहसील मुण्डावर
3. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर

:– प्रतिवादीगण

दावा– 88, 89, 188
राज0काश्त0अधि0 1955

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांकः– 28.08.2018

वादीगण की ओर से **श्री जगन्नाथ यादव वकील एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री सरजीत यादव वकील** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.08.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 155/0.62, 156/0.63, 452/0.03, 493/0.26, 608/1.09, 993/1.36, 995/1.34 का 1/4 भाग व 886/0.29, 887/0.24, 888/0.10, 889/0.35,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

890/0.50, 891/0.38, 892/0.15, 893/0.22, 894/0.19, 895/0.05, 896/0.08, 897/0.35 का 1/2 दर 2/5 बैल एवं 299/0.19 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात में मूर्ति बेवा अमरसिंह की विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बजाय उक्त हिस्से रकबे पर वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0दवामी पाबंद किया जाता है कि वे उनके नाम हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी को कही रहन बैय आदि से मुंतकिल ना करें, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मजामहत पैदा ना करें। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner